मॉनसून पेट्रोलमैन के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य

अ. परिचय

मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश और बाढ़ से होने वाले नुकसान जैसे कि दरारों का होना, जमीन धंसकना, फिसलन और अपरदन (मिट्टी का कट जाना) का पता लगाने के लिए रेलवे लाइन के कुछ विशेष खंड (सेक्शन) की, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो, गश्त (पेट्रोलिंग) की जाती है और जब आवश्यक हो, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

ब. पेट्रोलमैन की जिम्मेदारियाँ

1) प्रत्येक स्थिति में ट्रैक के रख-रखाव और सुरक्षा के लिए पेट्रोलमैन के जिम्मेदारी होती हैं। उन्हे अपने संबंधित उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना आवश्यक हैं।

2) पेट्रोलमैन को जीपीएस ट्रैकर उपकरण दिया जाता है। पेट्रोलमैन को ट्रैक की पेट्रोलिंग के दौरान उसे अवश्य ऑन कर लेना चाहिए। पेट्रोलिंग के पश्चात उसे ऑफ कर दें और चार्जिंग पर लगा दें।

3) नियमों और सिगनलों का ज्ञान

प्रत्येक पेट्रोलमैन को हाथ सिगनल और पटाखा सिगनल के संकेतों का सही ज्ञान होना चाहिए और निम्नलिखित नियमों से परिचित होना चाहिए:-

ए) हाथ सिगनल नियम

I. हाथ के सिगनलों का ज्ञान और अधिकार

(1) ट्रेनों की आवाजाही, शंटिंग संचालन, अधिष्ठापन के रखरखाव और ट्रेनों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कार्यों से जुड़े प्रत्येक रेल कर्मचारी को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना होगी-

i. हाथ के सिगनलों का सही ज्ञान; तथा

ii. ड्यूटी के दौरान उसके पास अपेक्षित हाथ सिगनल होंगे और वह उन्हें अच्छी प्रकार चालू हालत में और तत्काल उपयोग के लिए तैयार रखेगा।

(2) हाथ सिगनल देने के लिए दिन में एक लाल झंडी और एक हरी झंडी या रात में लाल, हरी और सफेद रोशनी दिखाने में सक्षम एक हाथ बत्ती होगी।

II. हाथ के संकेतों को दिखाना

(1) सभी हाथ सिगनल इन नियमों में निर्धारित रूप में दिन के समय झंडी या हाथ दिखाकर और रात के समय बत्ती दिखाकर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(2) दिन के दौरान सामान्य रूप से एक झंडी या झंडीयों को हाथ के सिगनलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाथों का प्रयोग आपातस्थिति में तभी किया जाना चाहिए जब झंडी उपलब्ध न हों।

(3) रात के दौरान सामान्य रूप से एक लाल या हरी बत्ती दिखाकर एक हाथ का सिगनल दिया जाएगा। तेज़ी से लहराई गई सफेद रोशनी को रोक सिगनल के रूप में तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब लाल बत्ती उपलब्ध न हो।

(4) लाल या हरी बत्ती या तो स्थिर या चमकती प्रकार की होगी।

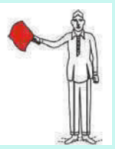
(5) आने वाली गाड़ी के चालक को अवरोध की चेतावनी देने के लिए रात के समय लाल चमकती हाथ सिगनल बत्ती या दिन के दौरान एक लाल झंडी होना का उपयोग किया जाएगा।

III. रोक हाथ सिगनल

(1) संकेत: एकदम रुक जाओ

(2) दिन के समय कैसे प्रदर्शित किया जाता है:

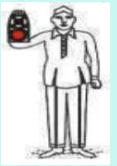
लाल झंडी दिखाकर या हाथों के साथ दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाकर, जैसा कि नीचे दिखाया गया है;





(3) रात के समय कैसे प्रदर्शित किया जाता है:

लाल बत्ती दिखाकर या सिगनल दिखाने वाले व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से सफेद बत्ती तेज़ी से लहराते हुए, जैसा कि नीचे दिखाया गया है;





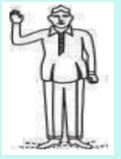
IV. 'आगे बढ़ो' हाथ सिगनल

(1) संकेत: आगे बढ़ो

(2) दिन के समय कैसे प्रदर्शित किया जाता है:

हरी झंडी को पकड़कर या एक हाथ को स्थिर रूप से रखकर जैसा कि नीचे दिखाया गया है;





(3) रात के समय कैसे प्रदर्शित किया जाता है:

एक हरी बत्ती को स्थिर रूप से पकड़ कर, जैसा कि नीचे दिखाया गया है;

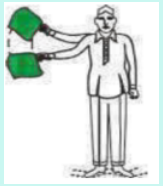


V. सावधानी से 'आगे बढ़ो' हाथ सिगनल

(1) संकेत: धीरे-धीरे आगे बढ़ो और यदि सिगनल हिलाने की गति क्रमशः कम होती जाती है तो अपनी गति को भी कम करते हुए आगे बढ़ो।

(2) दिन के समय कैसे प्रदर्शित किया जाता है:

हरे रंग की झंडी लंबवत ऊपर और नीचे लहराते हुए या एक समान तरीके से एक हाथ लहराते हुए जैसा कि नीचे दिखाया गया है;





(3) रात के समय कैसे प्रदर्शित किया जाता है:

हरे रंग की बत्ती को लंबवत ऊपर और नीचे लहराते हुए जैसा कि नीचे दिखाया गया है;



बी) पटाखे सिगनल नियम

I. पटाखा सिगनलों का वर्णन

पटाखा सिगनल जिन्हें पटाखा या कुहासा (फॉग) सिगनल भी कहते हैं, वे उपकरण हैं जो रेल पर लगाए जाते हैं और जब एक इंजन, या एक वाहन उनके ऊपर से गुजरता है तो वे एक जोरदार विस्फोट के साथ फट कर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हैं।

II. पटाखों का संग्रहण

(1) पटाखों को सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वे असावधानी पूर्वक गलत तरीके से रखे जाने पर विस्फोट कर सकते हैं।

(2) पटाखे को विशेष रूप से आपूर्ति किए गए डिब्बों में ही रखा जाएगा और उन्हें सूखे स्थान पर रखा जाएगा और उन्हें ईंट की दीवारों, नम लकड़ी, चूने के क्लोराइड या अन्य कीटाणुनाशक के संपर्क में नहीं छोड़ा जाएगा, न ही नमी या भाप या अन्य वाष्प के संपर्क में लाया जाएगा।

(3) प्रत्येक डिब्बे के बाहर लेबल पर पटाखों के निर्माण का महीना एवं वर्ष लिखा रहता है और प्रत्येक पटाखे पर इसकी मुहर भी लगी होती है, उनका उपयोग मुहर लगी तारीखों के क्रम में किया जाना चाहिए, सबसे पुरानी तारीख के पटाखे हमेशा पहले इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इस क्रम में डिब्बे से शीघ्र निकालने की सुविधा की दृष्टि से उन्हें इसी क्रमानुसार रखा जाना चाहिए।

III. पटाखों का उपयोग

(1) पटाखों को रखने वाले कर्मचारी उनका कोई अनुचित उपयोग नहीं करेंगे।

(2) पटाखों का जीवनकाल

पटाखों का सामान्य जीवन पांच साल का होता है।

(3) पटाखे उपयोग करने की विधि

i. आवश्यक होने पर एक पटाखे को उपयोग करने के लिए लेबल या ब्रांड को ऊपर की ओर करके रेल पर रखा जाएगा और उसकी पत्तियों (क्लैंप) को रेल के शीर्ष भाग में लपेट कर रेल पर लगाया जाएगा।

ii. पटाखों को रेल ज्वाइंट व स्लीपर स्पेसिंग में ना लगाया जाय, बल्कि रेल पर वहाँ रखा जाय जहाँ नीचे स्लीपर हो।

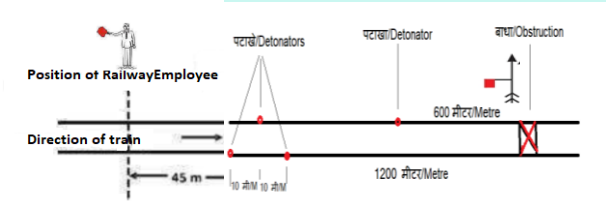


(4) अवरोध की स्थिति में पटाखे लगाना

i. जब भी कभी रेलपथ पर किसी अवरोध या रुकावट के परिणाम स्वरूप, रेल सेवक को आती हुई रेलगाड़ियों को रोकना आवश्यक होता है, तो वह आगे बढ़कर अपने हाथ रोक सिगनल को दिखाते हुए अवरोध के स्थान से 600 मीटर की दूरी पर आगे जाएगा और वहाँ रेलपथ पर एक पटाखा लगाएगा और फिर रुकावट की जगह से 1200 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेगा और रेलपथ पर तीन पटाखे एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर लगाएगा।

ii. यदि अवरोध दूर होने से पहले उक्त रेल सेवक को वापस बुला लिया जाता है, तो वह तीन पटाखे वहीं छोड़ देगा और वापस आने पर, मध्यवर्ती पटाखा उठा लाएगा।

(5) जब एक रेल कर्मचारी ने एक या एक से अधिक पटाखों को रेलपथ पर रखा है तो इससे पहले कि एक समीप आने वाले इंजन या ट्रेन द्वारा विस्फोट हो उसे पटाखे या पटाखों से 45 मीटर की सुरक्षित दूरी से दूर अवश्य हट जाना चाहिए।



4) संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य

ए) प्रत्येक रेल सेवक-

I. जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा।

II. ऐसी हर घटना की, जिसका उसे पता चले और जिससे रेल के सुरक्षित या उचित कार्यचालन पर असर पड़ता हो, रिपोर्ट तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा, और

III. दुर्घटना अथवा अवरोध उत्पन्न होने पर तथा मांग की जाने पर सभी संभव सहायता देगा।

बी) यदि कोई रेल सेवक देखता है कि -

I. रेलपथ अथवा निर्माण के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का अवरोध या विफलता (खराबी) या विफलता का खतरा,

II. रेलगाड़ी (ट्रेन) के साथ कुछ भी गलत, या

III. किसी भी असामान्य परिस्थिति से रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन, या जनता की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है, तो वह दुर्घटना की रोकथाम के लिए, मामले की परिस्थितियों की मांग के अनुरूप जहां आवश्यक हो, तत्काल कदम उठायेगा और, निकटतम स्टेशन मास्टर को त्वरित संभव साधन से सूचित करेगा।

IV. रेलगाड़ी के विभाजित हो जाने की स्थिति में, वह रोक हाथ सिगनल नहीं दिखाएगा, बल्कि चिल्लाकर, इशारा करके या अन्य साधन द्वारा लोको पायलट या गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा।

5) रेलगाड़ी में गर्म धुरा या किसी अन्य असामान्य घटना होने पर की जाने वाली कार्यवाही

कोई भी रेल सेवक जो चलती रेलगाड़ी में गर्म धुरा देखता है, वह रेलगाड़ी को रोकने के लिए अपने अधिकार में सब कुछ करने के लिए बाध्य है और वह खतरे का सिगनल देकर रेलगाड़ी कर्मचारियों को सचेत करेगा।

6) तोड़फोड़ की आशंका होने पर की जानेवाली कार्यवाही और आपातस्थिति में गश्त लगाना

ए) जैसे ही वह रेलपथ, पुलों या अन्य स्थायी संपत्ति की किसी भी तोड़फोड़ या संभावित तोड़फोड़, बम विस्फोट धमाका इत्यादि का संज्ञान करता है, तुरंत वह रेलपथ की रक्षा करेगा और निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

बी) निर्देश के अनुसार वह किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लंबाई पर गश्त करेगा।

स. मानसून पैट्रोलमैन के उपकरण

प्रत्येक पैट्रोलमैन को निम्नलिखित उपकरण और ऐसे अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जो विशेष निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं:

1) एक डंडा (अच्छा हो कि फोल्डेबल हो) ।

2) 15 सेमी वर्गाकार नंबर प्लेट (अधिमानतः रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रकार), जिसमें प्रत्येक एसएसई/पी.वे/प्रभारी के क्षेत्र की शुरुआत से लगातार क्रमांकित किया व काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों से लिखा हो।

3) टिन के डब्बे में 10 पटाखे ।

4) चेतावनी सिगनल (रात में एक लाल चमकती रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च/हाथ सिगनल बत्ती या दिन के दौरान लाल झंडी)। दोहरा/एकाधिक रेलपथ, घाट सेक्शन, उपनगरीय और स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों पर तीन चेतावनी सिगनल और इकहरे रेलपथ सेक्शन पर दो चेतावनी सिगनल।

5) औद्योगिक सुरक्षा जूते/गम बूट, सुरक्षा जैकेट, रेन कोट, हैड लाइट के साथ हेलमेट सहित स्थानीय पोशाक विनियमों के अनुसार सुरक्षात्मक वस्त्र।

6) एक माचिस की डिब्बी।

7) दो लाल झंडियां और एक हरा झंडी (केवल दिन की गश्त के लिए)।

8) टिन के बक्से में पेट्रोल बुक।

9) एक तीन सेल वाली बिजली की टॉर्च।

10) गर्जक सीटी (गड़गड़ाहट की आवाज करने वाली)।

11) एक झोला।

नोट: जहां गश्त (पेट्रोलिंग) जोड़ी में की जाती है या स्थिर गश्त में दो व्यक्ति हों वहाँ दुगुना उपकरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अतिरिक्त पेट्रोलमैन को एक अतिरिक्त रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च/हाथ सिगनल बत्ती, गर्जक सीटी, सुरक्षात्मक वस्त्र और आपातकालीन उपयोग के लिए एक स्पैनर, हथौड़ा और हल्का क्रो-बार प्रदान किए जाएंगे।

द. गश्ती पुस्तकें (पेट्रोल बुक) और व्यवस्थित गश्त

प्रत्येक गश्ती दल को एक टिन केस के साथ पर्याप्त संख्या में पृष्ठों वाली एक गश्ती पुस्तिका (पेट्रोल बुक) की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक खंड पर गश्त क्षेत्र की संख्या के अनुरूप पुस्तकों को क्रमानुसार क्रमांकित किया जाएगा। पुस्तक के पहले पृष्ठ में पेट्रोलमैन का नाम, पेट्रोलिंग सेक्शन का किलोमीटर और उसका नंबर होगा। शेष पृष्ठों में दिनांक, स्टेशन, आगमन और प्रस्थान के समय और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर के लिए खाने बने होंगे।

पेट्रोलमैन गश्ती चार्ट में निर्दिष्ट समय पर ड्यूटी पर रहेंगे।

जिस पेट्रोलमैन का क्षेत्र किसी स्टेशन पर शुरू/समाप्त होता है, वह अपने पास मौजूद गश्त पुस्तक स्टेशन मास्टर/ब्लॉक हट-प्रभारी को प्रस्तुत करेगा, जो आगमन और प्रस्थान का समय उसमें प्रविष्टि/दर्ज करेगा और पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा। स्टेशन मास्टर/ब्लॉक हट प्रभारी अपनी डायरी/ट्रेन रजिस्टर बुक में भी आगमन और प्रस्थान का समय दर्ज करेंगे। पैट्रोलमैन तब अपनी क्षेत्र पर गश्त करेगा और उसके अंत में पहुँचकर अगले पैट्रोलमैन से वह अपनी गश्त पुस्तक बदल देगा और अपने क्षेत्र को वापस चला जाएगा।

मध्यवर्ती पैट्रोलमैन भी इसी तरह करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक गश्त पुस्तक को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुँचाया जाएगा और फिर वापस भेजा जाएगा। स्टेशनों के अधिक निकट होने पर गश्त पुस्तकों को मूल स्टेशन पर वापस आने से पहले एक या अधिक मध्यवर्ती स्टेशनों में भी भेजा जा सकता है।

अगर एक पैट्रोलमैन अपने क्षेत्र के अंत में आने पर अगले पैट्रोलमैन को किताब लेने के लिए नहीं पाता है, तो उसे तब तक आगे बढ़ना चाहिए, जब तक कि वह उससे नहीं मिल जाता। किसी पैट्रोलमैन की अपने क्षेत्र से अनुपस्थिति की सूचना पैट्रोलमैन को अगले दिन गैंगमेट को देनी चाहिए।

स्टेशन मास्टर देखेंगे कि पेट्रोलमैन संयत और पूरे सामान के साथ ड्यूटी पर आते हैं, उनके बत्ती सुव्यवस्थित और तेल से भरी हों या बैटरी पूरी तरह से चार्ज हों (रिचार्जेबल बत्ती के मामले में) और वे समय पर अपनी गश्त ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं।

यदि कोई पैट्रोलमैन जिसे स्टेशन पर पहुँचना है, समय पर वापस नहीं आता है या बिल्कुल नहीं आता है, तो स्टेशन मास्टर/ब्लॉक हट-प्रभारी दूसरे छोर पर स्टेशन मास्टर/ब्लॉक हट-प्रभारी को पेट्रोलमैन की अनुपस्थिति के बारे में सूचना देंगे और दोनों स्टेशन मास्टर/ब्लॉक हट-प्रभारी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने वाली सभी रेलगाड़ियों को तब तक चेतावनी आदेश जारी करेंगे जब तक कि "गश्त-क्षेत्र" के दूसरे छोर का पेट्रोलमैन स्टेशन आकर रिपोर्ट नहीं करता कि सब कुछ ठीक है।

गश्त वाले को एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस प्रदान किया जाएगा, ताकि उसके आने-जाने की निगरानी की जा सके जिससे प्रभावी गश्त सुनिश्चित हो सके।

ई. मॉनसून पेट्रोलमैन के कर्तव्य

1) यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पैट्रोलमेन अच्छी तरह से समझें कि आपात स्थिति की घटना में उन्हें क्या करना है। आपात स्थिति में पैट्रोलमेन को अपना पूरा समय और ऊर्जा रेलपथ की सुरक्षा और सहायता बुलाने में लगानी चाहिए। रेलपथ की रक्षा करने और सहायता बुलाने के बाद, उन्हें अपनी गश्त फिर से शुरू करनी चाहिए।

2) रेलपथ के धँसने, भू-स्खलन, कटाव के संकेत, तूफान के दौरान रेलपथ पर गिरे उखड़े हुए पेड़ या किसी अन्य कारण से रेलपथ की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, को देखने के लिए “गश्त क्षेत्र" से संबंधित चार्ट के अनुसार क्षेत्र पर आगे-पीछे चलना। पुलों और उनके पहुँच पर विशेष रूप से चौकसी रखनी चाहिए।

3) रेलपथ को नुकसान की आशंका तब होती है जब-

ए) किसी पुल पर बाढ़ खतरे के स्तर से अधिक है, या

बी) जब खतरे के स्तर तक पहुंचने से पहले ही

पुलों पर सुरक्षात्मक कार्य या उनके पहुंच को नुकसान हो, या

सी) रेल तटबंध के एक तरफ का पानी दूसरी तरफ की तुलना में बहुत अधिक स्तर पर है, या

डी) जब कोई बाधा जैसे गिरे हुए पेड़ से पुल का जलमार्ग अवरुद्ध हो रहा हो।

4) यदि रेलपथ पर जमीन धसकने का संकेत दिखता है या जब असामान्य बारिश या बाढ़ या किसी अन्य कारण से रेलपथ के किसी हिस्से के असुरक्षित होने की संभावना हो तो रेलगाड़ियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

5) जब खतरे की किसी प्रकार की आशंका प्रतीत न हो तो सैस पर रेलगाड़ी की ओर मुंह करके बायीं ओर खड़े हो जाएं और अपनी बत्ती की रोशनी अपनी नंबर प्लेट (रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रकार हो तो बेहतर होगा) पर डालते हुए प्रदर्शित करें, ताकि गुजरती हुई रेलगाड़ी से नंबर देखा जा सके। जब रेलगाड़ी का इंजन और ब्रेक-वान गुजरता है तो पेट्रोलमैन को सीटी भी बजानी चाहिए।

6) संबंधित स्टेशन/ब्लॉक हट में ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/ब्लॉक हट-प्रभारी से आगमन और प्रस्थान के हस्ताक्षर प्राप्त करें और अपने नजदीकी पेट्रोलमैन के साथ गश्ती पुस्तक (पेट्रोल बुक) का आदान-प्रदान करें।

7) अपने नजदीकी पेट्रोलमैन और रास्ते में आने वाले स्थिर पहरेदारों के साथ अपनी व उनके क्षेत्रों की स्थितियों के बारे में रिपोर्ट का आदान-प्रदान करें।

8) ड्राइवरों के निर्देशों पर ध्यान दें, जो किसी भी स्थान पर खतरे की स्थिति की सूचना दे सकते हैं, और संकेतित स्थान पर आगे बढ़ें और आवश्यक उपाय करें।

फ. सुभेद्य स्थानों पर पहरा देना

1) मानसून अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार प्रत्येक नामित स्थान पर चौबीसों घंटे स्थिर चौकीदार तैनात किया जाता है।

2) उसे सुभेद्य स्थान पर नजर रखनी चाहिए और यदि उसे खतरे की आशंका है तो उसे रेलपथ की सुरक्षा करनी चाहिए।

3) चौकीदार के लिए उपकरण पैट्रोलमैन के समान स्तर पर होने चाहिए सिवाय इसके कि एक चौकीदार को निम्नलिखित प्रदान नहीं किया जाएगा-

a) नंबर प्लेट b) झोला

c) टिन के बक्से में पेट्रोल बुक

तथापि, चौकीदार को एक नोटबुक प्रदान की जानी चाहिए।

ग. रेलपथ क्षतिग्रस्त होने पर कार्यवाही

रेलपथ के किसी भी हिस्से के टूटने या यातायात के लिए असुरक्षित होने की स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

1) उस मामले में जहां दो पेट्रोलमैन कार्यरत हैं

ए) रेलपथ की सुरक्षा करना

I. दोनों दिशाओं में खतरे के सिगनल प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

II. फिर दोनों पेट्रोलमैन खतरे का सिगनल (दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती) दिखाते हुए विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ेंगे और जब खतरे के स्थान से 600 मीटर की दूरी पर पहुंचे तो प्रत्येक को एक पटाखा रेल पर लगा देना चाहिए फिर वे खतरे के स्थान से 1200 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेंगे जहां उन्हें रेल पर लगभग 10 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे लगाने चाहिए। दोहरे रेलपथ पर पटाखे उस रेलपथ पर रखा जाना चाहिए जिस दिशा से रेलगाड़ी आएगी।

III. यदि रुकावट की प्रकृति ऐसी हो कि दोनों पेट्रोलमैन में से किसी के लिए भी गैप को पार करना असंभव हो जाए, उदाहरण के लिए तेज बाढ़ से रेलपथ बह जाना तो एक पेट्रोलमैन को खतरे का सिगनल दिखाकर गैप की दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन को रोकने का प्रयास करना चाहिए जबकि दूसरे आदमी को गैप के अपने तरफ स्टेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए और जैसा ऊपर II में बताया है के अनुसार पटाखे लगाकर रेलपथ प्रोटेक्शन करना चाहिए।

बी) स्टेशन मास्टर और गैंगमेट को क्षति की रिपोर्ट करना

I. रेलपथ का प्रोटेक्शन करने के बाद दो पेट्रोलमैन में से एक जो स्टेशन के सबसे नजदीक है, और यदि उपरोक्त III में उल्लिखित स्थिति है तो रेलपथ का प्रोटेक्शन करने वाला पेट्रोलमैन, खतरे के सिगनल को दिखाते हुए स्टेशन की ओर पूर्ण वेग से आगे बढ़ेगा और स्टेशन मास्टर को खतरे की सूचना देगा। वापस आते समय यदि उसे कोई गैंग आवास मिलता है तो उसे घटना के बारे में गैंगमेट को सूचित करना चाहिए और गैंग को तुरंत प्रभावित किलोमीटर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए और मरम्मत करने के

लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

II. रेलपथ को सुरक्षित करने के बाद दूसरा पैट्रोलमैन अवरोध वाली जगह पर जाएगा और खतरे का सिगनल दिखाते हुए वहीं रहेगा, जब तक कि पहला पैट्रोलमैन उसके साथ नहीं आ जाता। यदि दूसरा पैट्रोलमैन स्टेशन से वापस जाते समय गैंग यूनिट का पता लगाने में सक्षम नहीं है तो उनमें से एक को गैंग यूनिट में जाना चाहिए और और गैंगमेट को सूचित करना चाहिए।

2) उस मामले में जहां एक पेट्रोलमैन कार्यरत है

ए) रेलपथ की सुरक्षा करना

I. जब इकहरे रेलपथ पर क्षति का पता चलता है

(1) एक दिशा से आने वाली ट्रेन को चेतावनी देने के लिए रात के दौरान एक लाल रंग की एक रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च/हाथ सिगनल बत्ती और दिन के दौरान एक लाल झंडी एक विशिष्ट स्थान पर रखें। उसके बाद उसकी विपरीत दिशा में जिधर से रेलगाड़ी आने की संभावना है, एक खतरे के सिगनल के साथ (दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती) दौड़ें और बाधा/क्षति से 600 मीटर की दूरी पर एक पटाखा और 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर लगा दें।

(2) अवरोध/क्षति के स्थल पर वापस लौटें और इसी प्रकार पटाखों के साथ दूसरी तरफ रेलपथ को सुरक्षित करें।

(3) यदि अवरोध/क्षति के दूसरी तरफ जाना असंभव हो (जैसे कि तट बह जाने पर) लाल रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च/हाथ सिगनल बत्ती ऐसी स्थिति में रखा जाए ताकि उस दिशा से आने वाली ट्रेन द्वारा इसे यथासंभव अधिक दूरी से देखा जा सके और उपरोक्त a) I (1) में वर्णित पटाखों आदि के साथ दूसरी तरफ रेलपथ को सुरक्षित करें।

II. जब डबल रेलपथ पर क्षति का पता चलता है

(1) एक रेलपथ पर आने वाली ट्रेन को चेतावनी देने के लिए विशिष्ट स्थान पर लाल झंडी/ रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च/हाथ सिगनल लैंप बत्ती को रखें। फिर दूसरे रेलपथ पर दौड़ें जिस पर पहले ट्रेन आने की संभावना है और उपरोक्त a) I (1) में वर्णित पटाखों आदि के साथ रेलपथ को सुरक्षित करें।

(2) वापस दौड़ें और जिस रेलपथ पर पहले लाल बत्ती/झंडी प्रमुखता से रखी गयी थी उस रेलपथ को पटाखों के साथ सुरक्षित करें।

बी) स्टेशन मास्टर को नुकसान की सूचना देना

पैट्रोलमैन दोनों दिशाओं में रेलपथ की सुरक्षा करने के बाद अवरोध वाली जगह पर वापस आ जाएगा और अवरोध के स्थान पर ही रहेगा तथा पहले रेलवे कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्तियों, जिनसे वह स्थल पर ही रहकर संपर्क कर सकता है, के माध्यम से खतरे के बारे में सूचना भेजेगा।

संदर्भ

- "वर्षाऋतु पेट्रोलमैन के दायित्व और कर्तव्य पर" चौपन्ना का अंग्रेजी संस्करण नं. कैमटेक/सि/ 2023 /आरडीएमपी/1.0, जून -2023
- भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम
- भारतीय रेल रेलपथ नियमावली
- भारतीय रेल कार्य नियमावली

हमारा उद्देश्य

अनुरक्षण प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली का उन्नयन करना तथा उत्पादकता और रेलवे की परिसम्पत्ति एवं जनशक्ति के निष्पादन में सुधार करना जिससे अंतर्विषयों में विश्वसनीयता, उपयोगिता और दक्षता प्राप्त की जा सके।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार - GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय - MINISTRY OF RAILWAYS

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु /For Official use only)

(आईएसओ: 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

वर्षाऋतु पेट्रोलमैन के दायित्व और कर्तव्य

(उपयोगकर्ता - ट्रैक मेंटेनर)



कैमटेक/सि/ 2023 /आरडीएमपी/1.0
जून / june - 2023

An ISO 9001-2015 Certified Organisation
उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केन्द्र
Excellence In Maintenance

महाराजपुर, ग्वालियर - 475005
Maharajpur, Gwalior – 474005
Telephone : 0751-2470869, Fax : 0751-2470841
E-mail :dircivilcamtech@gmail.com

अस्वीकरण

इस पैम्फलेट में निहित जानकारी आर.डी.एस.ओ. और रेलवे बोर्ड के निर्देशों में निर्धारित किसी भी मौजूदा प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। यह दस्तावेज वैधानिक नहीं है और इसमें दिए गए निर्देश केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से हैं।